पांच हजार की रिश्वत लेते पटवारी को एसीबी ने रंगे हाथों दबोचा

पिता के नाम जमीन को पुराने रिकॉर्ड के अनुसार दर्ज करने के नाम पर मांगी रिश्वत

पाली एसीबी की टीम ने लापोद के पटवारी को गिरफ्तार किया।

सुमेरपुर, (निसं)। सुमेरपुर उपखण्ड क्षेत्र के लापोद हल्के के पटवारी को एसीबी ने पांच हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा।

पाली एसीबी के एएसपी नरपतचंद ने बताया कि पटवार मंडल लापोद के पटवारी आशीष मीणा को परिवादी के पिता के नाम सुमेरपुर के बडगांवडा में कृषि भूमि के खसरों की जमाबंदी में सीरवी को पुराने रेकार्ड के अनुसार रेबारी करने के एवज में दस हजार की रिश्वत मांगी थी। इस दौरान बुधवार को परिवादी द्वारा पांच हजार की रिश्वत देने पर पटवारी आशीष मीणा को एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान हैड कॉनिस्टेबल किशनसिंह, रीडर यशपाल सिंह, कॉनिस्टेबल हनुमान सिंह, धर्माराम, नरेन्द्र चौधरी, अवतारसिंह सहित अन्य मौजूद रहे।

पटवार परीक्षा के नकल मामले में पौरव 23 तक रिमांड पर

बीकानेर, (निसं)। पटवार परीक्षा में नकल करवाने के मामले में गिरफ्तार पौरव कालेर अब 23 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर रहेगा । पौरव को अदालत ने पहले एक दिन का रिमांड दिया था, जिसे बढ़ाकर अब 23 फरवरी किया गया है। दरअसल, रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए एडिशनल एसपी खुद अदालत में पेश हुए।

पटवार भर्ती परीक्षा 21 में केंडिडेट्स को इलेक्ट्रानिक डिवाइस से नकल करवाने के मामले में पौरव पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। पुलिस का आरोप है कि वो नकल के लिए पूरी गैंग चला रहा था। उसकी गैंग के सदस्य पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। अब पौरव से पुलिस ये पता लगाना चाह रही है कि कौन -कौन केंडिडेट्स है, जिन्होंने नकल के लिए पौरव से संपर्क किया था। ये भी पता लगाया जा रहा है कि किन -किन केंडिडेट्स ने नकल की है। ऐसे केंडिडेट्स को भी पुलिस गिरफ्तार करके अदालत में पेश करना चाहती है।

पौरव को मंगलवार को अदालत में पेश किया गया था, जहां से उसे एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। इस पर एडिशनल एसपी स्वयं अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि कम से कम एक सप्ताह का पुलिस रिमांड मिलने पर ही उससे कुछ तथ्य निकलवा सकते हैं।

श्रीजी के दर्शनों को उमड़ी भीड़

डिग्गी, (निसं)। विश्व प्रसिद्ध जन-जन की आस्था का केन्द्र डिग्गीपुरी में विराजमान श्रीकल्याण जी महाराज की पूर्णिमा के अवसर पर झांकी सजाई गई।

बुधवार को पूर्णिमा के अवसर पर अल सवेरे मंगला आरती से ही कल्याण धणी के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं के मंदिर पहुंचने का क्रम शुरू हो गया था जो कि दोपहर तक जारी रहा। दर्शनों को दूर-दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए डिग्गी पहुंचे। वहीं मंदिर ट्रस्ट के द्वारा लगाए गए बाउंसरों ने सोशल डिस्टेंश व मास्क की पालना के तहत दर्शन करवाए। पुजारी द्वारका प्रसाद शर्मा ने बताया कि आज पूर्णिमा के अवसर पर श्री कल्याण धणी की नयनाभिराम झांकी सजाई गई। वहीं डिग्गी थानाधिकारी सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि दुपहिया वाहनों को रोकने के लिए गांव के चारों तरफ चेन लगाई गई। चोपहिया वाहनों को छोटे बस स्टैण्ड से आगे प्रवेश नहीं दिया गया।

लॉन्चिंग से पहले लूट लिए एक करोड़ के 5 जी मोबाइल

सस्ते दाम में मोबाइल बेचना चाहते थे आरोपी, 3 गिरफ्तार

अलवर, (निसं)। बाजार में लॉन्च होने से पहले बदमाशों ने 1 करोड़ के 5जी मोबाइल लूट लिए। कंपनी कुछ ही दिनों में ये मोबाइल लॉन्च करने वाली थी।

एक कंटेनर में इन्हें नोएडा से राजस्थान भेजा जा रहा था। इससे पहले ही बदमाशों ने ड्राइवर और उसके साथी से मिलीभगत कर मोबाइल निकाल लिए। कार सवार आरोपी अलवर की तरफ पहुंचे तो मालाखेडा पुलिस ने इन्हें पकड लिया और मोबाइल बरामद कर लिए । पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। मोबाइल कंपनियों को भी इस बारे में जानकारी दे दी है।

एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि मंगलवार शाम सूचना मिली थी कि एक स्विफ्ट कार में बदमाश मोबाइल लूटकर जयपुर से अलवर की तरफ आ रहे हैं। इस पर मालाखेडा पुलिस ने नाकाबंदी की। देर रात हल्दीना के पास बदमाशों को रुकवाया तो वे रूके नहीं। पुलिस ने कार के आगे जीप भी लगा दी, फिर भी बदमाशों ने फरार होने की कोशिश की। इस पर पुलिस ने घेराबंदी कर शाहिद उर्फ काला (22) निवासी डुडोली बछोर नूहं हरियाणा, अनीस(32) खां निवासी बाइपास रोड जयपुर व जब्बार खां(28) निवासी रसीद बिहार कॉलोनी मानपुर सडवा दिल्ली बाइपास जयपुर को गिरफ्तार किया। कार की तलाशी ली तो इसमें ओपो व रेनो कंपनी के 5जी मोबाइल के 227 पीस मिले।

पुलिस ने आरोपियों से 227 मोबाइल पीस बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार यह कंटेनर नोएडा से आ रहा था। पुलिस आरोपियों से ड्राइवर से कनेक्शन और लूट की लोकेशन के बारे में जानकारी जुटा रही है। पुलिस के अनुसार लूटे गए मोबाइलों की कीमत करीब 1 करोड़ है। पुलिस ने आरोपियों से तीन पिस्टल, 12 कारतूस और कार भी जब्त की है।

तिजारा के बाजार बंद रहे

अलवर, (निसं)। तिजारा के चूहड़पुर गांव में गौवंश के अपमान के विरोध में हिंदू संगठनों ने बुधवार को तिजारा बंद कराया है। संगठनों के सैकडों लोग सुबह ही एकत्रित हो गए थे। जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा। तिजारा विधायक संदीप यादव ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने 3 जनों को गिरफ्तार किया है।

पूर्व विधायक मामन सिंह यादव ने कहा कि उनकी उम्र 62 साल हो चुकी है। ऐसा घिनौना अपराध सुना नहीं लेकिन तिजारा के चुहडपुर में गौवंश से कुकर्म की घटना ने सबको झकझोर दिया है। दोषियों को किसी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा। घटना के विरोध में आमजन में जबर्दस्त गुस्सा है।

संगठनों के प्रतिनिधियों का कहना है कि चार बदमाशों ने गौवंश का अपमान किया था। इसके बाद इसका वीडियो भी समाने आया। इसके बाद से आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग होने लगी। जन आवाज मंच के समन्वय राजू यादव ने कहा कि सभी समाज में इस घटना को लेकर बड़ा गुस्सा भी है। असल में गौवंश से कुकर्म करने को हिन्दू समाज माफ नहीं कर सकता।

सीएम ने विधायक दीपेंद्र सिंह के स्वास्थ्य की जानकारी ली

विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत से स्वास्थ्य के बारे में कुशलक्षेम पूछते सीएम गहलोत।

श्रीमाधोपुर, (निसं)। श्रीमाधोपुर विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत के आवास पर जाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शेखावत के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। गहलोत इस दौरान विधायक शेखावत के पुत्र पूर्व पीसीसी सचिव बालेंदु सिंह शेखावत व परिजनों से भी मिले और शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना की।

श्रीमाधोपुर विधायक दीपेंद्र सिंह शेखावत के पेट में तकलीफ के चलते पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे । वे पहले गुडगांव के मेदांता हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आए थे लेकिन पेट में तकलीफ के चलते फिर से जयपुर में फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया था ,स्वास्थ्य में सुधार आने के बाद फोर्टिस अस्पताल से डिस्चार्ज होकर विधायक शेखावत जयपुर स्थित अपने आवास पर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं।

पुलिस दल पर हमला कर ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ा ले गए बजरी माफिया

- पुलिस दल ने छुपकर अपनी जान बचाई

बौंली, (निसं)। क्षेत्र के खिरनी पुलिस चौकी इंचार्ज एएसआई सुरेश चंद्र के नेतृत्व में गए पुलिस दल पर हमला कर एक पकड़ी गई ट्रैक्टर-ट्रॉली को बजरी माफिया लेकर फरार हो गए।

दहलोद गांव के पास अवैध बजरी खनन व परिवहन की लीज ठेकेदार त्रिलोकचंद के शिकायत पर खिरनी पुलिस चौकी प्रभारी सुरेश चंद मय जाब्ते के मौके पर पहुंचे जहां पर 5-6 ट्रैक्टर ट्रॉली बजरी खनन व परिवहन की तैयारी कर भरी खड़ी थी । पुलिस को देखते ही बजरी माफियाओं ने पुलिस दल पर हमला कर दिया। पुलिस दल ने बड़ी मुश्किल से ट्रैक्टर ट्रॉलियों के पीछे छुप कर अपनी जान बचाई। इसी दौरान अन्य ट्रैक्टर ट्रॉली बजरी खाली कर बजरी माफिया ले भागे एवं एक ट्रैक्टर ट्राली को पुलिस ने पकड़ा तो पुलिस पर हमला कर हमलावरों ने बजरी ट्रैक्टर ट्रॉली को छुडाकर ले गए ।

इस मामले को लेकर खिरनी चौकी प्रभारी सुरेश चंद ने बौंली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बौंली सर्किल इंस्पेक्टर किशन मीणा ने बताया कि खिरनी चौकी प्रभारी सुरेश चंद द्वारा दी गई रिपोर्ट में मनराज केवट निवासी दहलोद गोविंद, अनिल व छोटा निवासी महेशरा हनुमान, कमलेश, व दिलखुश निवासी बगड़ी सहित अन्य 15-20 लोगों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया गया है।

332 कार्टन सिगरेट से भरे कन्टेनर को लूटा

पावटा, (निसं)। सिगरेटों से भरे कंटेनर के जयपुर जाने के दौरान हुई घटना के बारे में पीड़ित हिमांशु खन्ना पुत्र जय खन्ना निवासी गाजियाबाद ने बताया कि मेरी जयपुर रोड लाइंस के नाम से गाजियाबाद में ट्रांसपोर्ट कंपनी है। उसकी कंपनी का ट्रक कन्टेनर गाजियाबाद फैक्टरी से गॉडफ्राई फिलिप्स इंडिया लिमिटेड से सिगरेट के 332 कार्टन 15 फरवरी को लोड होकर जयपुर के लिये रवाना हुआ था। जिसमें कुल 332 कार्टन सिगरेट जिनकी कीमत करीब 80 लाख रूपये है।

पाथरेडी पुलिया के पास रात समय 8.10 पर एक गाड़ी में सवार कुछ लोगों ने कंटेनर के आगे गाड़ी लगाकर उसे रोककर कंटेनर चालक से कंटेनर से गाड़ी को टक्कर मारने को लेकर मारपीट कर उसके हाथ बांधकर उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसको गाड़ीं मे डालकर 2 घंटे घुमाकर उसे अलवर तिराहे के पास जंगल में डाल गए व सिगरेटों से भरे कंटेनर को अपने साथ ले गए। कुछ देर बाद कंटेनर चालक ने कोशिश कर अपने आप को रिहा कर हाईवे पर आकर किसी के फोन से मालिक को फोन किया। कंटेनर व उसमें लोड सिगरेट के बॉक्स में जीपीएस लगा हुआ है। वहीं प्रागपुरा थाना पुलिस को कंटेनर में लगे जीपीएस की सहायता से कंटेनर रिलायंस पेट्रोल पंप के पास होने की सूचना पर मौके से खाली कंटेनर बरामद किया। प्रागपुरा पुलिस ने खाली कंटेनर बरामद कर थाने मे लाये।

मंडावरी पंचायत में नरेगा कार्यों में हो रहा जमकर भ्रष्टाचार

ग्रामीणों ने जेसीबी का उपयोग करने की सीएम से शिकायत की

फागी, (निसं)। उपखंड क्षेत्र की मंडावरी ग्राम पंचायत क्षेत्र के ग्राम मंडावरा में सरकार द्वारा चलाई जा रही नरेगा के तहत खारड़ा नाड़ी खुदाई कार्यों में जमकर फर्जीवाड़ा हो रहा है।

एक श्रमिक ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि नरेगा श्रमिकों से कार्य स्थल पर काम नहीं करवा कर काम के एवज में पैसों की उगाही कर काम जेसीबी मशीन चलाकर खर्चा मजदूरों से वसूला जा रहा है । इस संबंध में जागरूक युवा राजू लाल चौधरी,

- जनप्रतिनिधियों एवं प्रभावशाली लोगों के परिवार जनों के लिखे जा रहे हैं फर्जी नाम
- सूचना के बाद भी नहीं हो रही प्रभावशाली लोगों के ऊपर कारवाई

भगवान सिंह सहित अनेक ग्रामीणों ने संयुक्त हस्ताक्षर युक्त पत्र मुख्यमंत्री को भेजकर नरेगा में हो रही धांधली को शीघ्र रुकवाने की मांग की है।

ग्रामीणों ने बताया कि जेसीबी मशीन से काम करवाने की शिकायत

फागी उपखंड क्षेत्र के ग्राम मंडावरा में नरेगा कार्य स्थल पर जेसीबी मशीन से किया गया कार्य।

पंचायत प्रशासन से लेकर उपखंड प्रशासन तक कई बार की जा चुकी है, परंतु उच्च अधिकारियों ने जांच के नाम पर मात्र लीपापोती के अलावा कुछ भी नहीं किया।

युवा कार्यकर्ता राजू लाल चौधरी ने धांधली में नरेगा मेट की भी है मिलीभगत बताया। मेट का कहना है कि मेरे ऊपर लगाए गए आरोप निराधार है नरेगा में नंबर नहीं आने वाले लोग ही विरोध कर रहे हैं जो गलत है। इस संबंध मे ग्राम पंचायत मंडावरी के सरपंच माफिया बानो ने बताया कि पंचायत क्षेत्र में नरेगा कार्य राम भरोसे चल रहा है, ग्राम विकास अधिकारी पंचायत में 1 महीने में दो या तीन बार ही आते हैं। ग्राम विकास अधिकारी मुकलेश खटीक का कहना है कि पंचायत क्षेत्र में नरेगा कार्यों में धांधली किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नरेगा कार्य स्थल पर मशीन चलना मेरी जानकारी में नहीं है। इसकी जांच करूंगा,अगर मशीन चलाई गई है तो उसका भुगतान किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा।

राजस्थान सरकार वन विभाग

क्रमांक: प.1 (64) वन/2021 जयपुर, दिनांक 9.2.2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर

विषय: Diversion of 0.02 ha. of forest land in Favour of Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. For Permission for under-ground OFC Laying work in forest area in Ajmer City along road from Lat/Long point 26.42448°/7461972° to 26.42630°/74.62239° for total length of 0.444KM and Forest area-0.0200 ha.With in ROW Limits of the road in Ajmer District, Rajasthan (FP/RJ/OFC/47299/2020)

संदर्भ: आपका पत्रांक एफ 14 (OFC)2020/एफसीए/प्रमुवस महोदय, /2437 दि. 24.08.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में Jio Digital Fiber Private Limited (प्रयोक्ता अभिकरण) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अर्न्तगत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 मे OFC Cable Line हेतु 0.02 हेक्ट.वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है।नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरांत प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अर्न्तगत धारा-2 मे सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-निर्देशों एवं नवीन निर्देश दिनांक 27.07.2020 के परिपेक्ष्य मे Diversion of 0.02 ha. of forest land in Favour of JIO DIGITAL FIBER PVT. LTD. For Permission for underground OFC Laying work in forest area in Ajmer City along road from Lat/Long point 26.42448°/7461972° to 26.42630°/74.62239° for total length of 0.444KM and Forest area- 0.0200 ha.With in ROW Limits of the road in Ajmer District, Rajasthan की सैद्धांतिक स्वीकृति बिना वृक्षों के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्याधीन प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति मे कोई परिवर्तन नही होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नही पहुचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगी।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र मे रोपित किये जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नही काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होगें।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदुरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नही लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/ स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनो को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/ पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/ पत्थर काटने या भरने का कार्य नही किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य मे योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशो का पालन करेगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
11. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दि. 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 7.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण मे जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरश: प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगर पालिका के राजकीय अधिकारीयों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
(बी.प्रवीण) शासन सचिव

कार्यालय नगर पालिका निवाई, जिला (टोंक)

क्रमांक - न.पा.नि./2021-22/1101 दिनांक - 16/02/2022

आपत्ति आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित व्यक्तियों द्वारा कृषि भूमि में आवासीय/व्यवसायिक पट्टा/उपविभाजन/पुर्नवैद/69-क/नवीनीकरण/नामान्तरण/निर्माण स्वीकृति चाहने हेतु आवेदन किया है इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर मियाद 07 दिवस में मय सबूत लिखित में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करे बाद गुजरने मयाद (अवधि) पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी व आवेदकों के पक्ष में अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

क्र. सं.	नाम आवेदक	भूखण्ड सं. व कॉलोनी का नाम	खसरा नं	क्षेत्रफल	विशेष विवरण
1	रामेश्वर सैनी/कल्याण मल सैनी	सांखला वाली ढाणी शिवाजी कॉलोनी		125.20 वर्ग गज	69 क पट्टा हेतु
2	मदन लाल शर्मा/रामकिशोर शर्मा	मरेठा धर्मशाला के पास वार्ड नं 4		408.33 वर्ग गज	69 क पट्टा हेतु
3	मूरलधर सबनानी/जीवतराम सबनानी	सिन्धी कॉलोनी		233.33 वर्गगज	69 क पट्टा हेतु
4	गीता देवी/माणक चन्द खण्डेलवाल	आसाम मील के पीछे		1360.66 वर्गगज	69 क पट्टा हेतु
5	बाबूलाल कवंरिया/रामनारायण रैगर	शिवाजी कॉलोनी		150 वर्गगज	69 क पट्टा हेतु
6	यशोदा नागर/सीमाराम नागर	चंदा टॉकिज के पास		66.66 वर्गगज	69 क पट्टा हेतु
7	बाबू लाल सैनी/सूरज माली	शिवाजी कॉलोनी		254.02 वर्गगज	69 क पट्टा हेतु
8	त्रिलोक चन्द टाक/रूपाराम टाक	चंदा टॉकिज के पास		507 वर्गगज	69 क पट्टा हेतु
9	पंकज नागर/सीताराम नागर	अम्बिका होटल के पास		182.38 वर्गगज	69 क पट्टा हेतु
10	इन्द्रा देवी/धर्मचन्द जैन	जैन कॉलोनी		175वर्गगज	69 क पट्टा हेतु
11	ओमप्रकाश शर्मा/गोपीलाल शर्मा	चारभूजा मन्दिर के पास		142.95 वर्गगज	69 क पट्टा हेतु
12	राजेन्द्र हरिजन/महेन्द्र हरिजन	वाल्मिकी बस्ती		138.07 वर्गगज	69 क पट्टा हेतु
13	पप्पू लाल माली/रामदयाल माली	शिवाजी कॉलोनी		243.55 वर्गगज	69 क पट्टा हेतु
14	फर्जाना/लियाकत	सुभाष कॉलोनी		136.11 वर्गगज	69 क पट्टा हेतु
15	पांचू माली/रामदयाल माली	शिवाजी कॉलोनी		249.43 वर्गगज	69 क पट्टा हेतु
16	भूला माली/रामदयाल माली	शिवाजी कॉलोनी		158.88 वर्गगज	69 क पट्टा हेतु
17	जन्नत/शुबराती	पटेल रोड		187.05 वर्गगज	69 क पट्टा हेतु
18	कालूराम माली/कल्याण मल सैनी	शिवाजी कॉलोनी		177.77 वर्गगज	69 क पट्टा हेतु
19	हेमराज सैनी/कल्याण मल सैनी	शिवाजी कॉलोनी		125.83 वर्गगज	69 क पट्टा हेतु
20	मनीष कुमार शर्मा/दशरथ शर्मा	वनविभाग चौकी		185.81 वर्ग मीटर	69 क पट्टा हेतु
21	जगदीश प्रसाद कवंरिया/ कानाराम कवंरिया	शिवाजी कॉलोनी		150 वर्गगज	69 क पट्टा हेतु
22	सीताराम अग्रवाल/रामगोपाल अग्रवाल	दीनदयाल कॉलोनी		216.66 वर्गगज	69 क पट्टा हेतु
23	विष्णू सिंह/श्रीमूल सिंह	भगतसिंह कॉलोनी		182.22 वर्गगज	69 क पट्टा हेतु
24	दुर्गादेवी/ओमप्रकाश शर्मा	नगर पालिका के पास		246.50 वर्गगज	69 क पट्टा हेतु
25	भोजराज मेटवानी/रमेश चन्द्र मेटवानी	सिन्धी कॉलोनी		112.77 वर्गगज	69 क पट्टा हेतु
26	मदन लाल शर्मा/रामकिशोर शर्मा	जमात		408.33 वर्गगज	69 क पट्टा हेतु
27	सूरज देवी/सुरेश चन्द्र गुर्जर	जमात		379.16 वर्गगज	69 क पट्टा हेतु
28	अनिशा बानो/अतीक अहमद	मोहल्ला टालवालान		163.70 वर्गगज	69 क पट्टा हेतु
30	सलीम मन्सूरी/जुम्मा खाँ	भगतसिंह कॉलोनी		116.13 वर्गमीटर	69 क पट्टा हेतु
31	राजेन्द्र कुमार शर्मा/रामजस शर्मा	बन्जारो का मौहल्ला		42.25 वर्गगज	69 क पट्टा हेतु
32	पवन कुमार शर्मा/रामजस शर्मा	बन्जारो का मौहल्ला		42.49 वर्गगज	69 क पट्टा हेतु
33	कुलदीप चौधरी/सुरेन्द्र चौधरी	जमात वार्ड नं. 1		174.46 वर्गगज	69 क पट्टा हेतु
34	अब्दूल अजीज/मुन्शी खा	शिवाजी कॉलोनी		176.3 वर्गगज	69 क पट्टा हेतु
35	सीमा त्यागी/धीरेन्द्र त्यागी	बालाजी विहार प्रथम		200 वर्गगज	कृषि भूमि
36	यशोदा नागर/सीताराम नागर	चोहट्टी बाजार खारी कुई		91.06 वर्गगज	पुर्नवैध
37	मीनाक्षी मीणा/प्रशान्त कुमार मीणा	ढाणी जुगलपुरा		150 वर्गगज	पट्टा चाहने हेतु
38	जगदीश, रामकल्याण, सूरज/ बद्रीनारायण शर्मा	राजीव नगर		230 वर्गगज	कृषि भूमि
39	राजेन्द्र कुमार कुमावत/ श्री हनुमान सहाय कुमावत	शिवाजी कॉलोनी गली नं 7		150 वर्गगज	69 क पट्टा हेतु
40	केदार मल गुर्जर/औंकार मल गुर्जर	शिवाजी कॉलोनी गली नं 12		150 वर्गगज	69 क पट्टा हेतु
41	मोहम्मद यासीन/बुनियाद अली	शिवाजी कॉलोनी सब्जी मण्डी के पास		186.6 वर्गगज	69 क पट्टा हेतु
42	भंवर सिंह/नन्द सिंह	शिवाजी कॉलोनी गली नं 10		150 वर्गगज	69 क पट्टा हेतु
43	राम प्रसाद/लक्ष्मीनारायण जांगिड	शिवाजी कॉलोनी गली नं. 10		125 वर्गगज	69 क पट्टा हेतु
44	सूरज मल नोगिया/ लक्ष्मीनारायण नोगिया	शिवाजी कॉलोनी गली नं. 13		150 वर्गगज	69 क पट्टा हेतु
45	रामसहाय/गजानन्द बलाई	शिवाजी कॉलोनी		291.88 वर्गगज	69 क पट्टा हेतु
46	भंवर सिंह/नन्द सिंह	शिवाजी कॉलोनी गली नं 10		150 वर्गगज	69 क पट्टा हेतु
47	हसराज जारोलिया/बंशीलाल	शिवाजी कॉलोनी गली नं 12		150 वर्गगज	69 क पट्टा हेतु
48	धर्मचन्द जैन/रूपचन्द जैन	भगतसिंह कॉलोनी		213.33 वर्गगज	अन्तरण
49	सुमित्रा देवी/जयकुमार जेन	भगतसिंह कॉलोनी		277.33 वर्गगज	अन्तरण
50	राकेश कुमार जैन/पारस चन्द जैन	भगत सिंह कॉलोनी		213.33 वर्गगज	अन्तरण

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका निवाई